

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(अनुभाग-3, महात्मा गांधी नरेगा) शासन सचिवालय, जयपुर



क्रमांक:-एफ 12(1)ग्रावि/नरेगा/बेयरफुट/2015/00191

जयपुर, दिनांक:

23 MAR 2018

जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस  
एवं जिला कलेक्टर  
जिला समस्त, राजस्थान।

विषय:-महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत बेयरफुट टैक्नीशियन (बीएफटी) के नियोजन एवं भुगतान के सम्बन्ध में।

प्रसंग:- विभागीय आदेश दिनांक 23.02.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में निवेदन है कि महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत बेयरफुट टैक्नीशियन (बीएफटी) का नियोजन एवं भुगतान निम्नानुसार किया जाना है:-

1. बेयरफुट टैक्नीशियन (बीएफटी) का नियोजन कनिष्ठ तकनीकी सहायक/कनिष्ठ अभियंता के सहयोग हेतु ही किया जाएगा।
2. बेयरफुट टैक्नीशियन (बीएफटी) का भुगतान सामग्री मद में प्रत्येक कार्य के तकमीने में तकनीकी सहायक के लिए किये गये 1 प्रतिशत के प्रावधान से किया जावेगा।
3. बेयरफुट टैक्नीशियन (बीएफटी) का भुगतान प्रत्येक जिले में जिला दर निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित कुशल कारीगर की बीएसआर दर के आधार पर किया जावेगा।
4. बेयरफुट टैक्नीशियन (बीएफटी) का नियोजन आवश्यकतानुसार किया जावेगा एवं इन्हें माह में अधिकतम 14 दिवस हेतु ही नियोजित किया जा सकता है।

उक्त आदेश वित्त विभाग की आईडी संख्या 101801389 दिनांक 13.03.2018 के क्रम में जारी किये जा रहे हैं। अतः उक्तानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावें।

भवदीय  
  
(राजेन्द्र सिंह कैन)

परि० निदे० एवं संयुक्त शासन सचिव, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, मा० मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय जयपुर।
3. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, वित्त विभाग।
4. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, ग्रावि एवं पंचावि।
5. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, ईजीएस।
6. अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त।
7. अधिशाषी अभियन्ता, ईजीएस जिला परिषद समस्त राजस्थान।
8. परियोजना अधिकारी (लेखा), ईजीएस जिला परिषद समस्त राजस्थान।
9. विकास अधिकारी सह कार्यक्रम अधिकारी पंचायत समिति समस्त, राजस्थान।
10. रक्षित पत्रावली।

परियोजना अधिकारी, ईजीएस  
23/03/18